(58)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विज्ञापन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

निगरानी 2063-I-15

श्रीमती ममता देवी पत्नी रामखिलावन सिंह ठाकुर

निवासी ग्राम--चक्की का पुरा, सिलावली

तहसील--पोरसा, जिला--मुरैना।

श्री/श्रीमती ... द्वारा आज दि. 4-7-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ बोर्ड राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. गुड्डी पुत्री श्री छोटे सिंह उर्फ छुटई पत्नी श्री रामबाबू सिकरवार

निवासी ग्राम--तिलावली तहसील--पोरसा, जिला--मुरैना म.प्र.

हाल निवासी अकबरा मार्ग रोड रूनकुता जिला--आगरा उ.प्र.

2. अजमेर सिंह

3. कल्लू सिंह

4. करन सिंह पुत्रगण सुल्तान सिंह

जाति ठाकुर निवासी ग्राम--तिलावली तहसील पोरसा जिला--मुरैना म.प्र.

हाल निवासी दरियापुरा तहसील रौन जिला--भिण्ड म.प्र.

5. कलियान उर्फ कालिका पुत्र श्री छोटे सिंह उर्फ छुटई

जाति--ठाकुर निवासी ग्राम तिलावली तहसील--पोरसा जिला--मुरैना म.प्र.

4/7/18

अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह कैम्प, पोरसा जिला--मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/14--15 अपील में पारित आदेश दिनांक 17--12--2014 एवं 26--06--2015 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा--50 म.प्र. भू--राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदिका निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है--

1. यह कि, अधनीस्थ न्यायालय के विवादित आदेश अवेध एवं मनमाने होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदक ने अभिलिखित भूमि स्वामी अनावेदक--5 से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 09--04--2014 को विवादित भूमि क्रय की थी विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/2013-14/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 30--09--2014

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2063-एक/15 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	